Recommendation of Government of Maharashtra regarding Zudpi Jungle

1831. DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) what is the recommendation made by the Government of Maharashtra to the Government of India in the matter of the 'Zudpi Jungle' in the Vidarbha region of Maharashtra;

(b) what is the response of Government thereto; and

(c) when the decision will be taken on this issue?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI BABULAL MARANDI): (a) and (b) The issue of 'Zudpi Jungle' was discussed in details with the State Government in January 1992 and in pursuant to these discussions, detailed guidelines were issued by the Ministry on 12.2.92 regarding these areas. As per these quidelines land shown as 'Zudpi Jungle' in revenue records will continue to be treated as forest land under Forest (Conservation) Act, 1980. The State Government however, requested for exclusion of certain category of areas of 'Zudpi Jungle' from the purview of Forest (Conservation) Act, 1980, It was made clear to the State Government in the guidelines of 1992 and also by another committee constituted on 'Zudpi Jungle' in 1996 by the Ministry, that for exclusion of those part of 'Zudpi Jungle' which have already been used for certain non-forestry purpose in the past, but corresponding entries have not been made in revenue records, specific proposals will be sent by the State Government for approval of Central Government under Forest (Conservation) Act, 1980.

(c) Formal proposals under the Forest (Conservation) Act, 1980, as mentioned above have not been received from the State Government so far. Therefore, the question of taking a final decision on the issue of 'Zudpi Jungle' areas does not arise.

वनरोपण के संबंध में उपायों संबंधी सुझाव देने वाली समितियां

1832. **श्री बरजिन्दर सिंह:**
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ समितियों का गठन कर उनसे कुल भूमि के एक-तिहाई भाग पर वनरोपण के संबंध में उनके सुझाव मांगे थे;

(ख) यदि हां, तो क्या इन समितियों ने सरकार को अपनी-अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी हैं;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक समिति की रिपोर्ट की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) सरकार ने प्रत्येक समिति की रिपोर्ट पर अब तक क्या कार्रवाई की है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबूलाल मरांडी): (क) जी, हां। सरकार ने वनीकरण नीतियों और बंजरभूमि की पुनःस्थापना की समीक्षा करने के लिए श्री ए॰ के॰ मुखर्जी, वन महानिरीक्षक (सेवा निवृत्त) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, जिसके विचारार्थ विषय निम्नलिखित थे:—

1. वनीकरण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना तथा देश में वनीकरण गतिविधियों में तेजी लाने के लिए अर्थोपायों के साथ-साथ वित पोषण में वृद्धि के उपायों का सुझाव देना।

2. वनीकरण प्रयोजनों के लिए भारत सरकार के मौजूदा संस्थागत प्रबंधों की समीक्षा करना तथा बेहतर कार्यक्षमता और समन्वय सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त फेरबदल करने के बारे में सुझाव देना।

3. देश में संयुक्त वन प्रबन्धन कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा करना तथा कार्यक्रम के बेहतर कार्यान्वयन के लिए संयुक्त वन प्रबन्धन संबंधी विशेषज्ञ दल की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त परिवर्तन के लिए सुझाव देना।

(ख) समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को 31.1.98 को प्रस्तुत की थी।

(ग) समिति ने सिफारिश की है कि भविष्य में भारत में वनीकरण तथा संयुक्त वन प्रबन्धन कार्यनीति पर कार्य निम्नलिखित सिद्धान्तों को ध्यान में रखकर किया जाएगा।

1. वनक्षेत्र के अधीन कुल भू-क्षेत्र के 33 प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 100 मि० है० भू-क्षेत्र को वन/वृक्षाच्छादित क्षेत्र के अन्तर्गत लाया जाना आवश्यक है। इसका अर्थ है कि करीब 70 मि० है० दर्ज की हुई वनभूमि तथा 30 मि० है० सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की अतिरिक्त बंजर भूमि को वानिकी प्रयोजनों के लिए अलग से रखा जाना है।

2. इन गतिविधियों से 15.5 मि० हैक्टेयर वन रिक्त क्षेत्र में सहायता युक्त प्राकृतिक पुनरुत्पादन, 15.5 मि० है० अवक्रमित वन भूमि में पुनरुत्पादन, वनीकरण और सिल्वीपास्चर हो सकेगा तथा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की बंजर भूमियों का 30 मि० हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र, कृषि-वानिकी, फार्म वानिकी, वन चारागाह आदि के माध्यम से वनीकरण के अन्तर्गत लाया जा सकेगा।

3. यदि अगले 20 वर्षों में 33 प्रतिशत का राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्त करना हो तो इससे वार्षिक वनीकरण और सहायतायुक्त प्राकृतिक वनोत्पादन और वन चारागाह क्षेत्र बढ़कर 3 मि० है० हो जाएगा। चालू वार्षिक दर मात्र 1.2 मि० है० है। अतः कार्य काफी बड़ा है और इसे सम्पन्न करने के लिए सरकारी मशीनरी की कार्य क्षमता को सुदृढ़ करने तथा आधुनिक पद्धतियों और प्रौद्योगिकियों को अपनाने की आवश्यकता होगी।

4. वन हमारी राष्ट्रीय परिसम्पत्तियां हैं और यदि इनका प्रबन्धन ठीक प्रकार किया जाए तो इनसे नवीन संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं। उनका प्रबन्धन, उपयोग और परिरक्षण ऐसी नीतियों और कार्य नीतियों के अनुसार किया जाना चाहिए जिनमें वनों के दीर्घावधिक परिरक्षण और सतत् विकास के लिए उनके पारिस्थितिकीय महत्व और नवीन संसाधन संबंधी पहलू पर ध्यान केन्द्रित किया गया हो।

5. वनों की उत्तरजीविता, वनों में रहने वाले समुदायों तथा वनों के आस-पास रहने वाले वन-आश्रित ग्रामीणों से अन्तर-सम्बद्ध है। संयुक्त वन प्रबंधन द्वारा भविष्य की वनीकरण और वन पुनःस्थापन कार्यनीति में ऐसे समुदायों की संस्कृति और उनके अधिकारों को मान्यता देने तथा उनकी सहायता के लिए समुचित व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वनों के विकास, संरक्षण और सतत उपयोग के लिए उक्त ग्रामीण अपना पारितोषिक प्राप्त कर सकें।

6. अवक्रमित वन भूमियों और अन्य बंजर भूमियों के विकास संबंधी भविष्य की किसी भी कार्यनीति में अक्षय ऊर्जा के सतत और पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल स्रोतों अर्थात् चारा, लकड़ी और इमारती लकड़ी पर ध्यान देना चाहिए। घने प्राकृतिक वनों पर पड़ने वाले दबावों को कम करने तथा स्थानीय निवासियों की पर्याप्त भागीदारी से ग्रामीण रोजगार तथा विकास कार्य सुनिश्चित करने के लिए पारिस्थितिकीय रख-रखाव संबंधी प्रक्रियाओं को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और उन्हें और व्यापक बनाना चाहिए।

7. अवक्रमित वन भूमियों सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भूमियों के वनीकरण और पुनःस्थापन संबंधी पद्धति बहुक्षेत्रीय होनी चाहिए और इस प्रकार के अन्य क्षेत्रों में किए जाने वाले क्रिया-कलापों, जैसे कृषि, पशु-पालन, ग्रामीण विकास, जनजाति विकास तथा ढांचागत व्यवस्था आदि में कार्यनीति पर उनके निहितार्थों पर ध्यान देना चाहिए।

8. अवक्रमित वन भूमियों के वनीकरण और पुनर्वास की भावी नीति के अन्तर्गत समस्त स्वीकृत पणधारियों (स्टेकहोल्डर्स) की भूमिका पर विचार विमर्श किया जाए, उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जाए तथा उनकी सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाए।

9. वानिकी के लिए अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों, विशेषकर जैव-विविधता, जलवायु परिवर्तन, मरुस्थल कम करना आदि से संबंधित कन्वेंशनों के सन्दर्भ में कार्यसूची 21 और जी ई एफ से अधिकतम सहायता प्राप्त करने के प्रयास किए जाने चाहिएं।

10. वनों की बेहतरी के लिए दावानल नियंत्रण।

11. अवक्रमण की रोकथाम के लिए वन क्षेत्र में खनन विनियमन।

12. सम्पूर्ण देश में परती भूमियों का उपयुक्त मूल्यांकन और निर्धारण।

इन सिद्धांतों के आधार पर समिति ने निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:—

संसाधन गतिशीलन

1. वनीकरण कार्यक्रम के लिए योजना आयोग से अधिक धनराशि प्राप्त करने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रबल प्रयास किए जाने होंगे। इसके आगे समिति यह सिफारिश करती है कि पर्यावरण एवं वन मंत्री, भारत सरकार द्वारा वनीकरण हेतु उपलब्ध धनराशि को बढ़ाने के लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ यह मामला उठाया जाना चाहिए।

2. वन क्षेत्रों में और उनके आस पास स्थित दो लाख गांवों में वनीकरण कार्यकलाप और जे०एफ०एम०

कार्यकलापों के बेहतर कार्यान्वयन हेतु अधिक धनराशि जुटाने के लिए, समिति डी०आर०डी०ए० की भांति संयुक्त वन प्रबन्ध एवं विकास एजेंसी (जे०एफ०एम०डी०ए०) के सृजन के पक्ष में है।

3. प्रत्येक राज्य को चाहिए कि वह वन उत्पाद की बिक्री से एकत्रित अपने राजस्व का अधिकतम 25 प्रतिशत भाग, वन विभाग के अन्तर्गत वन विकास निधि में जमा करें जिसे अवक्रमित वनों के पुनर्वास और प्राकृतिक वन में पुनर्निवेशित किया जा सके।

4. वनीकरण कार्यकलापों में निवेश के लिए कटाई फैलाने वाले उद्योगों की वार्षिक बिक्री का कम से कम 1 प्रतिशत उपकर निधि की स्थापना के लिए।

5. नई परियोजनाओं की परियोजना लागत का 5% जल विद्युत परियोजनाओं में और कैचमेंट और कमाण्ड क्षेत्रों के वनीकरण के लिए वर्तमान परियोजनाओं की वार्षिक प्रचालन लागत का एक प्रतिशत, निवेश निधि की संस्थापना के लिए।

6. कम ब्याज की दरों पर अवक्रमिक भूमियों के पुनःस्थापन के लिए संस्थागत वित्त व्यवस्था की संभावना का पता लगाना तथा 15 वर्ष अथवा अंतिम फसल कटाई, जो भी पहले हो, तक के लिए ऋणों के भुगतान को स्थगित करना। समिति ने पुनः यह सिफारिश की है कि राज्य वन निगमों द्वारा उगाये जाने वाले पौधों का मूल्यांकन पारिस्थितिकीय और निवेशित आर्थिक लाभों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। राज्य वन निगम द्वारा औद्योगिक विकास निगमों की तत्पर वनीकरण परियोजनाओं के विकास के लिए स्थानीय उद्यमियों की पहचान करने में सहायता करनी चाहिए।

7. पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा वनीकरण गतिविधियों, विशेषकर विश्व पर्यावरणीय सुविधा तथा कार्यसूची के अन्तर्गत निर्धारित गतिविधियों में तेजी लाने के लिए अन्तरराष्ट्रीय संस्थानों/डोनर फाईनेंसिंग को आकर्षित करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

8. रीप्लैन्टरी तथा अत्यधिक अवक्रमिक वन भूमियों तथा इस तरह की वन भूमियों में समुचित प्रयोग के लिए उच्च प्रौद्योगिकी आधारित वन-रोपण में सहकारी समितियों तथा वन विकास निगम को शामिल करना।

9. भूमि के अधिग्रहण में छूट केवल निजी भूमियों पर लीज आधार पर वनरोपण करने के लिए दी जानी चाहिए।

संस्थागत और नीतिगत मामले:

1. आर्थिक सहायता, कर ऋण तथा वनीकरण विकास के लिए अन्य प्रोत्साहनों के बारे में नीति बनाने के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन करना।

2. वानिकी तथा अन्य क्षेत्रों जैसे कृषि, पशुधन, शहर को हरा-भरा बनाने आदि जैसे अन्य क्षेत्रों के बीच संबंध स्थापित करना ताकि वानिकी को विकल्पी प्रयोग प्रणाली का एक हिस्सा बनाया जा सके।

3. समिति ने संयुक्त वन प्रबन्धन संबंधी राष्ट्रीय वनीकरण और पारि-विकास बोर्ड के विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट की समीक्षा की है और उक्त समिति ने यह सिफारिश की है कि विशेषज्ञ दल द्वारा की गई सभी सिफारिशों को कतिपय संशोधनों के बाद कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

4. समिति, राष्ट्रीय वनीकरण और पारि-विकास बोर्ड और राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड का विलय करने की सिफारिश करती है और यह भी सिफारिश करती है कि उपरोक्त संगठनों की अध्यक्षता व्यावसायिक वन-विशेषज्ञों द्वारा की जानी चाहिए।

5. पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा राज्य वन विभागों में संयुक्त वन प्रबंधन के लिए एक अलग प्रकोष्ठ बनाना।

6. पर्यावरण और वन मंत्रालय में नीति विकास केन्द्र स्थापित करना।

7. भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जी०आई०एस० के प्रयोग द्वारा बंजर भूमियों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

8. भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद् द्वारा विस्तार गतिविधियों को तेजी से सम्पन्न किया जाना चाहिए और अच्छी क्वालिटी की पौध सामग्री के उत्पादन की निगरानी के लिए राष्ट्रीय बीज और पौध-सामग्री के अधिप्रमाणन एजेंसी के रूप में कार्य करना चाहिए। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् को प्रयोग कर्त्ताओं के सहयोग से प्रदर्शन "ट्रायल" करने चाहिएं।

9. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को उपयुक्त उत्पादन आंकड़ा इकट्ठा करना चाहिए तथा वन संबंधी काष्ठ रहित उत्पादों के प्रयोग और विपणन तथा व्यापार संबंधी नीतियों को मॉनीटर करना चाहिए।

10. समिति ने क्षेत्रीय विशेषज्ञ दल गठित करके वनीकरण मामले पर क्षेत्रीय परामर्श करने की अनुशंसा की है।

11. जैव विविधता और मरूस्थलीकरण नियंत्रण प्रभाग में उप वन महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिए तथा सचिव और पर्यावरण एवं वन मंत्री को प्रस्तुत किए जाने वाली सभी फाइलें वन महानिरीक्षक के माध्यम से तथा वनीकरण गतिविधियों के लिए धन की निकासी संबंधी सभी फाइलें विशेष सचिव के माध्यम से प्रस्तुत की जानी चाहिएं।

12. राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड की चराई नीति रिपोर्ट के क्रियान्वयन के लिए।

(घ) समिति की रिपोर्ट पर सरकार सक्रियता से विचार कर रही है।

Effect of global warming on forests in Western Ghats

1833. DR. Y. LAKSHMI PRASAD: Will the Minister of ENVIORNMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the report in 'Asian Age' dated August 30, 1997, attributed to scientists of the Indian Institute of Science, to the effect that there would be wide-scale shifts in forest boundaries and changes in vegetation in Western Ghats in the years to come, as a result of global warming;

(b) if so, the details of the studies made by the Institute in this regard; and

(c) the steps taken and plans laid down to prevent the adverse effect of global warming?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI BABU LAL MARANDI): (a) Yes, Sir.

(b) The study is stated to have been sponsored by Swedish International Development Agency (SIDA) and is understandably not yet published/ printed. As per the details supplied by the author, regional assessments of climate change impacts on forest was conducted in two regions of the Western Ghats; Uttara Kannada district and the Nilgiri Hills. Climate Change projections for 2020 and 2050 were used in assessing the impacts on forests. The study anticipates that in an event of projected global warming, there will be a shift in forest types in the Western Ghats which might affect the availability of forest products and the employment level among the people in the region. Author(s) conclude by saying that given the uncertainties regarding the model based regional projections of climate change and vegetation response, the findings should be cautiously considered more as an indicator of the direction of change.

(c) The United Nations Framework Convention on Climate Change (UN-FCCC) which enjoins upon signatory country parties to take precautionary measures to anticipate, prevent and minimise the causes of climate change and mitigate its adverse effects has been ratified by India on November 1, 1993.

In accordance with the provisions of UN-FCCC, India is not required to adopt a national greenhouse gas or carbon dioxide reduction target. It also needs to be underlined that India's past and present contributions to global Green House Gas (GHG) emissions are not significant. The bulk of the earlier GHG emissions build-up is on account of industrialized countries, which are even today the largest sources of GHG emissions.

India's approach towards implementation of the framework Convention and associated environmental matters is covered within policy declarations, namely, National Conservation Strategy and Policy Statement on Environment and Development (1992) and a Policy Statement on Abatement of Pollution (1992) for regulating various environmental parameters.

In addition, various other enactments such as the Air Pollution (Prevention and Control) Act, 1981, amended in 1987 and Motor Vehicles Act, 1939 amended in 1988 and Forest Conservation Act, 1980 amended in 1988 contribute significantly towards minimising the causes of global

312/RS F-3A